# प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 28-01-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

**1. थाना पाकबडा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तो को 113.260 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तारः-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी, नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.01.2026 को थाना पाकबडा पुलिस व एस0टी0एफ0 टीम मेरठ के द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. राकेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम जटपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद 2. नन्हे पुत्र लेखराज निवासी ग्राम जटपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद 3. आसिफ पुत्र इरशाद निवासी ग्राम कांकरखेडा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद को 113.260 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर थाना पाकबडा पर मु0अ0स0 – 19/2026 धारा धारा-8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम-**

1. राकेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम जटपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद
2. नन्हे पुत्र लेखराज निवासी ग्राम जटपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद
3. आसिफ पुत्र इरशाद निवासी ग्राम कांकरखेडा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद

**वांछित अभियुक्त का नाम-**

1. गजेन्द्र उर्फ वकील पुत्र कृपाल सिंह निवासी भदगवां थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद।

**बरामदगी का विवरणः-**

1. कुल 04 बोरे गांजा नाजायज के जिनमें क्रमशः 15-15-14-11 पैकेट कुल 55 पैकेट भरे हैं, जिनका कुल वजन 113.260 किलोग्राम।
2. घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बारह टायरा जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP22BT1846.

**पूछताछ विवरण**

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अभियुक्त राकेश कुमार ने बताया कि उक्त ट्रक उसके नाम पर पंजीकृत है, जिसमें लकड़ी लदी हुई थी तथा ट्रक के केबिन में गांजा छिपाकर रखा गया था। अभियुक्तगण द्वारा यह गांजा उड़ीसा से लाकर जनपद मुरादाबाद में सप्लाई किया जाता था। उन्होंने बताया कि गांजा ₹7000 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाता था तथा ₹10,000 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता था। इस तस्करी में गजेन्द्र उर्फ वकील भी सम्मिलित है, जो माल खरीदने हेतु धन उपलब्ध कराता था तथा आगे सप्लाई करता था। अभियुक्तों द्वारा अर्जित मुनाफा आपस में बराबर-बराबर बांटा जाता था। शेष बयान अपने वकील के माध्यम से कोर्ट मे देना बताया।

**आपराधिक इतिहास राकेश कुमार पुत्र अतर सिंह उपरोक्त –**

मु0अ0स0 – 19/2026 धारा-8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

**आपराधिक इतिहास नन्हे पुत्र लेखराज उपरोक्त –**

मु0अ0स0 – 19/2026 धारा-8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

**आपराधिक इतिहास आसिफ पुत्र इरशाद उपरोक्त –**

मु0अ0स0 – 19/2026 धारा-8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

**आपराधिक इतिहास गजेन्द्र उर्फ वकील पुत्र कृपाल सिंह उपरोक्त –**

1.मु0अ0स0 – 19/2026 धारा-8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

2. मु0अ0स0 – 444/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाईन मुरादाबाद।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम के सदस्य**

1. थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना पाकबडा मुरादाबाद।
2. उ0नि0 श्री विनीत कुमार
3. उ0नि0 श्री राजकुमार
4. का0 कपिल कुमार
5. का0 विशाल कुमार
6. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह ( एसटीएफ मेरठ प्रभारी मय टीम )
7. हे0का0 रकम सिंह
8. हे0का0 आकाश
9. हे0का0 प्रदीप धनखड

**2. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 08 व्यक्तियों व 02 वारंटी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-**
थाना नागफनी- 01, थाना मझोला- 03, थाना पाकबड़ा-02, थाना सोनकपुर-02

**वारंटीः-**
थाना कोतवाली-02